# सिगार्स – *तम्बाकू प्लेन पैकिजिंग अधिनियम 2011 (Tobacco Plain Packaging Act 2011)* (और अन्य उचित कानूनों) के अनुसार अनुपालन

**सिगार पैकेजिंग**

**प्रश्न 1. क्या मैं उन तम्बाकू उत्पादों की दोबारा पैकेजिंग करने के लिए उत्तरदायी हूँ जो गैर-अनुवर्ती पैकेजिंग के अधीन आते हैं?**

यदि आपके तम्बाकू उत्पाद गैर-अनुवर्ती (नॉन-कम्पलायेंट) पैकेजिंग में हैं जिन्हें आप बेचना, बिक्री के लिए देना या अन्यथा सप्लाई करना चाहते/चाहती हैं, तो आपके लिए यह आवश्यक है कि आप उत्पाद को अनुवर्ती पैकेजिंग में दोबारा पैक करें।

पैकेजिंग (सिगार बैग्स सहित) Pantone (पैंटोन) 448C में होनी चाहिए, जो कि बादामी गहरे भूरे रंग में मैट फिनिश का होना चाहिए और उसपर आवश्यक स्वास्थ्य चेतावनी होनी चाहिए।

**प्रश्न 2. मैं अनुवर्ती (कम्पलायेंट) पैकेजिंग कहाँ से प्राप्त करूँ?**

यदि आप एक रिटेलर हैं, तो आपको इसपर चर्चा करने के लिए अपने आपूर्तिकर्ता/आयातक/निर्माता से संपर्क करना चाहिए। यदि आप एक आपूर्तिकर्ता/आयातक/निर्माता हैं, तो आपके लिए अनुवर्ती पैकेजिंग व प्रिंटिंग के प्रबंध करने आवश्यक हैं।

**प्रश्न 3. क्या अकेले-अकेले बेचे जाने वाले सिगारों का प्लेन पैकेजिंग में होना आवश्यक है?**

हाँ, उनका अनुवर्ती पैकेजिंग में होना आवश्यक है (नीचे प्रश्न 5 भी देखें)।

पैकेजिंग (सिगार बैग्स सहित) Pantone 448C में होनी चाहिए, जो कि बादामी गहरे भूरे रंग में मैट फिनिश का होना चाहिए और उसपर आवश्यक स्वास्थ्य चेतावनी होनी चाहिए। कानून के साथ अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए, सिगार के आपूर्तिकर्ताओं के लिए यह आवश्यक है कि वे सिगार बैगों या अन्य अनुवर्ती पैकेजिंग का पर्याप्त भंडार रखें।

अकेले-अकेले बेचे जाने वाले सिगारों में बैंड हो सकता है जो बादामी गहरे भूरे रंग (Pantone 448C) का हो, और उसपर *तम्बाकू प्लेन पैकेजिंग विनियम 2011 (Tobacco Plain Packaging Regulations 2011)* के अनुसार कुछ चिन्ह लगे हो सकते हैं।

**प्रश्न 4. क्या मैं बिक्री के समय एक गैर-अनुवर्ती तम्बाकू उत्पाद को किसी अनुवर्ती बैग (या अन्य अनुवर्ती कंटेनर) में डाल सकता/सकती हूँ? (उदाहरण के लिए, गैर-अनुवर्ती सिगरेटों या सिगारों या रॉल-यॉर-ओन (RYO) तम्बाकू पाउच व टिनों को अनुवर्ती ज़िप लॉक बैग में डालना)**

नहीं। तम्बाकू उत्पादों को बेचे जाने, बिक्री के लिए दिए जाने या अन्यथा उत्पाद की आपूर्ति किए जाने से पहले दोबारा पैकेज किया जाना चाहिए।

**प्रश्न 5. क्या मैं किसी संभावित ग्राहक को ऐसा सिगार दिखा सकता/सकती हूँ जो अनुवर्ती प्लेन पैकेजिंग में नहीं है?**

नहीं। सिगार को पैकेजिंग के बिना या प्लेन पैकेजिंग में दिखाया जा सकता है। ध्यान दें कि बिक्री से पहले सिगार को अनुवर्ती पैकेजिंग में रखा जाना चाहिए और उसपर स्वास्थ्य चेतावनी होनी चाहिए।

---

**ध्यान दें: कृपया ध्यान दें कि यह सूचना केवल एक संदर्शिका के रूप में प्रदान की गई है, और इसपर कानूनी परामर्श के स्रोत के तौर पर निर्भर नहीं किया जाना चाहिए। *तम्बाकू प्लेन पैकेजिंग अधिनियम 2011 (Tobacco Plain Packaging Act 2011)* के प्रावधानों का अनुपालन करने में विफल होने पर बहुत अधिक आपराधिक व नागरिक दंड लागू किए जा सकते हैं। यदि आप तम्बाकू प्लेन पैकेजिंग कानून के तहत अपने दायित्त्वों से अवगत नहीं हैं, या आपको आवश्यकताओं को समझने में मुश्किल आ रही है, तो इस बात का सुझाव दिया जाता है कि आप स्वयं अपने लिए स्वतंत्र कानूनी परामर्श प्राप्त करें।**

## सिगार बैंड्स

### प्रश्न 6. सिगार बैंड्स की आवश्यकताएँ क्या होती हैं?

सिगार में एक बैंड हो सकता है जो बादामी गहरे भूरे रंग (Pantone 448C) का होता है, और उसपर *तम्बाकू प्लेन पैकेजिंग विनियम 2011 (Tobacco Plain Packaging Regulations 2011)* के अनुसार कुछ चिन्ह लगे हो सकते हैं। दूसरे किसी चिन्ह की अनुमति नहीं है (*Tobacco Plain Packaging Act 2011* की धारा 26)। गैर-अनुवर्ती बैंड्स को हटा देना चाहिए या उन्हें चिपकने वाले अनुवर्ती प्लेन पैकेजिंग बैंड के साथ ढका जाना चाहिए। यह आवश्यक है कि चिपकने वाले अनुवर्ती बैंड गैर-अनुवर्ती बैंड को पूर्ण रूप से ढकें और इन्हें मज़बूती से बाँधा जाए, और जिस बैंड को यह कवर करते हैं उनसे इन्हें आसानी से न निकाला जा सके।

## और अधिक जानकारी

### प्रश्न 7. प्लेन पैकेजिंग आवश्यकताओं से संबंधित अधिक जानकारी मुझे कहाँ से मिल सकती है?

तम्बाकू प्लेन पैकेजिंग अधिनियम 2011 *(Tobacco Plain Packaging Act 2011)* की धाराएँ 18 से 26 और तम्बाकू प्लेन पैकेजिंग विनियम 2011 *(Tobacco Plain Packaging Regulations 2011)* के विनियम 2.1.3 से 2.6.3 और 3.2.1 व 3.2.2 देखें।

## तम्बाकू आपूर्तिकर्ताओं के लिए सूचना

तम्बाकू उत्पादों के आपूर्तिकर्ता के तौर पर, यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप उचित कानून के अधीन अपने लिए आवश्यक बातों की जानकारी हासिल करें और उसे बनाए रखें। और अधिक जानकारी निम्नलिखित स्रोतों पर उपलब्ध है:

- वेबसाइटें: www.health.gov.au/tobaccopp और www.productsafety.gov.au
- *तम्बाकू प्लेन पैकेजिंग अधिनियम 2011 (Tobacco Plain Packaging Act 2011)* और *तम्बाकू प्लेन पैकेजिंग विनियम 2011 (Tobacco Plain Packaging Regulations 2011),* जो www.comlaw.gov.au पर उपलब्ध हैं
- प्रतिस्पर्धा एवं उपभोक्ता (तम्बाकू) सूचना स्तर-मानक 2011 – जो www.comlaw.gov.au पर उपलब्ध है
- ग्राफिक्स और स्वास्थ्य चेतावनियों से संबंधित पूछताछ के लिए ACCC सूचना केन्द्र को फोन करें - 1300 302 502
- प्लेन पैकेजिंग (ग्राफिक्स व स्वास्थ्य चेतावनियों के अलावा) से संबंधित पूछताछ के लिए प्लेन पैकेजिंग कंप्लेन्ट्स (शिकायत) लाइन को 1800 062 971 पर फोन करें या ppcomplaints@health.gov.au पर ई-मेल करें।

**ध्यान दें: कृपया ध्यान दें कि यह सूचना केवल एक संदर्शिका के रूप में प्रदान की गई है, और इसपर कानूनी परामर्श के स्रोत के तौर पर निर्भर नहीं किया जाना चाहिए। *तम्बाकू प्लेन पैकेजिंग अधिनियम 2011 (Tobacco Plain Packaging Act 2011)* के प्रावधानों का अनुपालन करने में विफल होने पर बहुत अधिक आपराधिक व नागरिक दंड लागू किए जा सकते हैं। यदि आप तम्बाकू प्लेन पैकेजिंग कानून के तहत अपने दायित्वों से अवगत नहीं हैं, या आपको आवश्यकताओं को समझने में मुश्किल आ रही है, तो इस बात का सुझाव दिया जाता है कि आप स्वयं अपने लिए स्वतंत्र कानूनी परामर्श प्राप्त करें।**